मि.सं. 52-1/2001/प.पा./प्रसारण
भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
उच्चतर शिक्षा विभाग

पश्चिमी खंड -7, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली -110066
दिनांक -13 मई, 2019

परिपत्र

विषय : केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्मित लघु फिल्मों / वृत्तचित्रों की यूट्यूब पर उपलब्धता के संबंध में सूचना।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय वर्ष 1960 से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु निरंतर प्रयासरत है।

निदेशालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग हिंदीतर भाषी भारतीयों, अप्रवासी भारतीयों तथा विदेशियों तक हिंदी भाषा का ज्ञान पत्राचार के माध्यम पहुँचा रहा है। इस विभाग द्वारा अपने विद्यार्थियों तथा हिंदी सीखने के इच्छुक लोगों के लिए प्रतिपूरक शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जाती है जिसके अंतर्गत द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तकों, स्वयंशिक्षकों के अतिरिक्त विभिन्न व्याकरणिक, साहित्यिक एवं राजभाषा संबंधी बिंदुओं पर लघु फिल्मों / वृत्त चित्रों का निर्माण किया जाता है। अब तक कुल 102 लघु फिल्में / वृत्तचित्र तैयार किए जा चुके हैं।

हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में इन लघु फिल्मों / वृत्तचित्रों का योगदान शिक्षकों एवं छात्रों के अतिरिक्त हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी सीखने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा यूट्यूब पर HINDIBHASHAVANI (हिंदीभाषावाणी) नामक आधिकारिक चैनल की शुरुआत गई है। वर्तमान में हिंदीभाषावाणी चैनल पर 102 लघु फिल्में / वृत्तचित्र, जिनमें प्रत्येक की समयावधि लगभग 30 मिनट की है। सभी लघु फिल्में /वृत्त चित्र यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हैं।

(प्रो.अवनीश कुमार)
निदेशक

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग एवं कार्यालय
2. स्वायत्तशासी संस्थाएं / उपक्रम